

पत्रावली जलिय आयेत वि०  
की पेश हो

5.18

पत्रावली जलिय आयेत वि०  
की पेश हो  
पत्रावली जलिय आयेत वि०  
की पेश हो  
15/6/18

15/6/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 को  
निवाडि में पेश हुयी। अवलोकन किया गया।  
प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में एकतरफा  
कार्रवाई भी जा चुकी है। वादीगण का  
वाद लोक अदालत की श्रवणा से न्यायसिंह  
में स्वीकार किया जाया है। प्रतिवादीगण  
को जरूरी स्थानी निषेधाज्ञा पाबन्द किया  
जाता है कि वादवर्तित भूमि ख.नं. 3643,  
3644, 3645, 3664 वाले कनिवाडि में किसी  
प्रकार की बाधा मजालत नहीं करे।  
पाबन्द रहे। चर्क उठके जारी है। पत्रावली  
फैसलुमर होकर नम्बर से कम हो तथा  
दफ्तर दाखिल हो।

15/6/18  
पत्रावली जलिय आयेत वि०  
की पेश हो

मूल वद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उपखण्ड अधिकारी निवाई

उनवान

दावा बाबत... विमलनाथपुत्र बनारस रामशरण तिवारी

मुकदमा नम्बर :- 12/2016

निर्णय दिनांक :- 15-6-18

वादी की ओर से... को व प्रतिवादी की ओर से...

को उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15-6-18 को हरितास (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादीगण का वाद लोक अदालत की आवना से सुप्रीम में स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण की जर्के स्वामी निवेद्या सा पाबन्द किया जावे वृकि वादवर्णित भूमि ख. नं. 3643, 3644, 3645, 3664 तावे कू भिकारी में गिरी प्रकार की वादा मजा एमर जारी करें। प्राबन्ध रहे।

खर्चा पक्षकारान्त अपना - अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15-6-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

31/5/18  
पीठासीन अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर, निवाई

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जों के लिए स्टाम्प	
3. प्रदेशों के लिए स्टाम्प		प्लीड की फीस	
4. ....रूपये प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़े		जोड़े	

पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, निवाई